

- 1 A**
Ex. 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1834 में ब्रिटिश राज काल के दौरान पहला कानून आयोग स्थापित किया गया था।
- 2 A**
Ex.
- 3 A**
Ex. इसे पहले SAMPDA के नाम से जाना जाता था जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के रूप में पुनर्नामकरण किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि बर्बादी को कम करना है।
अतः यह Food Processing से सम्बन्धित है।
- 4 A**
Ex. राज्य सभा राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। इसका उद्देश्य राज्यों की शक्तियों की रक्षा करना है। समवर्ती सूची के मामलों में, संसद और राज्य विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं।
- 5 A**
Ex. परमादेश – हम आदेश देते हैं।
प्रतिषेध – हम रोकते हैं।
हैबियस कार्पस – सशरीर उपस्थित करो।
उत्प्रेषण – प्रमाणित करते हैं।
- 6 A**
Ex.
- 7 A**
Ex.
- 8 A**
Ex. संसद के पास (और किसी राज्य की विधायिका में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या अनुच्छेद 16) में कुछ नियोजन या नियुक्तियों के लिए एक शर्त के रूप में निवास के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी।
- 9 A**
Ex. चूँकि चुनाव प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर अधीक्षण और नियंत्रण ईसी में निहित है, इसलिए यह चुनाव से संबंधित कार्यों के लिए तैनात सिविल सेवकों पर दिशा और नियंत्रण रखता है। इसका मतलब यह है कि चुनाव के प्रशासनिक पहलुओं में शामिल नौकरशाह, कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों वाले पुलिस अधिकारियों सहित, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में भी उत्तरदायी हैं।
यह शक्ति चुनाव आयोग को उन दोनों तरीकों की निगरानी करने में सक्षम बनाती है जिनमें सिविल सेवक अपने चुनाव संबंधी कर्तव्यों का पालन करते हैं, और उन गतिविधियों को रोकते हैं जिन्हें आंशिक रूप से देखा जा सकता है।
चुनाव आयोग को चुनाव के समय अधिकारियों को स्थानांतरित करने या निलंबित करने के लिए चुनाव आयोग 324 के तहत अपनी विशाल शक्तियों का हवाला देता है, भले ही वे आम तौर पर भारत सरकार या राज्य सरकारों के अनुशासनात्मक दायरे में आते हैं। चुनाव आयोग के न केवल रिटर्निंग ऑफीसर, बल्कि पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों के तबादले भी हुए हैं।
- 10 A**
Ex. NAPCC के अन्तर्गत निम्नलिखित 8 मिशन हैं—
1. राष्ट्रीय सौर मिशन
2. परिष्कृत ऊर्जा दक्षता के लिये राष्ट्रीय मिशन
3. सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन
4. राष्ट्रीय जल मिशन
5. सतत हिमालयी पारिस्थितिक तन्त्र हेतु राष्ट्रीय मिशन
6. हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन
7. सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन
8. जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन
- 11 A**
Ex.
- 12 A**
Ex. महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करने हेतु राष्ट्रपति को प्रेषित 14 दिनों की नोटिस की अवधि (ना कि 30 दिनों) की समाप्ति कर लिया जा सकता है।
- 13 A**
Ex. साधारण विधयकों को प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होती।
- 14 A**
Ex. भारत का संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है जो एकात्मक लक्षण है, ना कि संघात्मक।
- 15 A**
Ex. संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में विधेयक पर अवरोध का समाधान साधारण बहुमत से किया जाता है, न कि विशेष बहुमत।
- 16 A**
Ex.
- 17 A**
Ex. राज्यपाल राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं होता है, किन्तु केन्द्र में राष्ट्रपति के तहत ही राज्य में विधानमण्डल का अंग होता है। राज्यपाल का विधानमण्डल की शक्तियों से गहन सम्बन्ध है और उसे कई प्रकार की वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं ; जैसे
— यह विधानमण्डल के दोनों सदनों (जिस राज्य में अस्तित्व में है) अथवा विधानसभा में भाषण दे सकता है तथा उनको सन्देश भेज सकता है।
— प्रत्येक वर्ष विधानमण्डल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण (सम्बोधन) से प्रारम्भ होता है, जिसमें राज्य की नीतियों का वर्णन होता है।
— वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान या विघटित कर सकता है। अधिवेशन बुलाने की राज्यपाल की शक्ति पर एक संवैधानिक शर्त है और वह यह कि पहले अधिवेशन की अन्तिम तिथि अगले अधिवेशन की पहली तिथि के बीच 6 माह से अधिक का समय व्यतीत न हुआ हो इत्यादि। उल्लेखनीय है कि राज्य विधानमण्डल राज्य के विषय पर वह स्वयं अपना नियम बनाता है।

- 60 C**
Ex. — कथन 1 और 5 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति हैं।
— कथन 2, 3 और 6 विधायी शक्तियाँ हैं।
— कथन 4 वित्तीय शक्ति है।
- 61 C**
Ex. जैसा कि संविधान द्वारा प्रदान किया गया है, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष ने नव-निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना कार्यालय खाली कर दिया। इसलिए, राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को अध्यक्ष प्रो टेम्प के रूप में नियुक्त करता है। आमतौर पर, सबसे वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। (कथन 1) राष्ट्रपति स्वयं अध्यक्ष प्रो टेम्प को शपथ दिलाते हैं। (कथन 2) स्पीकर प्रो टेम्प किसी भी राजनीतिक दल से हो सकता है।
- 62 C**
Ex.
- 63 C**
Ex. कथन 1 — राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में मिलने के लिए बुला सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति में दोनों सदनों और उपाध्यक्ष के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि संयुक्त बैठक से उपसभापति भी अनुपस्थित रहता है, तो राज्यसभा का उप सभापति अध्यक्षता करता है। यदि वह अनुपस्थित है, तो इस तरह के अन्य व्यक्ति को संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, बैठक की अध्यक्षता करता है। कथन 2 — संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण बिलों या वित्तीय बिलों पर लागू होता है, न कि मनी बिलों या संवैधानिक संशोधन बिलों पर।
- 64 C**
Ex. 1950 में और 15 अक्टूबर 1989 तक अपनी स्थापना के बाद से, चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर एकल सदस्य निकाय के रूप में कार्य किया। 16 अक्टूबर 1989 को, राष्ट्रपति ने 21 से 18 वर्ष तक की मतदान आयु कम करने के कारण निर्वाचन आयोग के बढ़ते कार्य का सामना करने के लिए दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। इसके बाद, चुनाव आयोग ने तीन चुनाव आयुक्तों के साथ एक बहु-निकाय के रूप में कार्य किया। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा किसी अन्य चुनाव आयुक्त या एक क्षेत्रीय आयुक्त को पद से हटाया नहीं जा सकता है। EC संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्रीय क्षेत्रों का निर्धारण करता है।
- 65 C**
Ex.
- 66 C**
Ex. राष्ट्र के रूप में योजना और संवर्धन।
- 67 C**
Ex.
- 68 C**
Ex. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा चलाई गई स्कीम है। प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज इसका उद्देश्य है। सभी खरीफ तथा रबी फसलों के लिये क्रमशः 2% एवं 1.5% तथा बागवानी फसलों के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा। ऋण प्राप्तकर्ता किसानों हेतु अनिवार्य है। पोस्ट हार्वेस्ट हानियों को भी कवर किया गया है।
- 69 D**
Ex. लोक सभा में प्रस्तुत करने हेतु 100 तथा राज्य सभा में 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।
- 70 D**
Ex.
- 71 D**
Ex.
- 72 D**
Ex. कथन 1 और कथन 2 संभव नहीं हैं क्योंकि ये ऐसे उद्देश्य हैं जो सरकार को रोकते हैं, और राज्यसभा को इस शक्ति का आनंद नहीं मिलता है। अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे लोकसभा में मंत्रियों की पूरी परिषद के खिलाफ ले जाया जाता है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें अब कुछ मामलों में उनकी अपर्याप्तता या उनकी विफलता के कारण जिम्मेदारी के पदों को रखने के लिए फिट नहीं माना जाता है। दायित्वों। लोकसभा में इसके गोद लेने के लिए कोई पूर्व कारण नहीं बताया जाना चाहिए।
- 73 D**
Ex. धन विधेयक के सम्बन्ध में राज्य सभा को कोई विशेष शक्ति नहीं है, लोक सभा की शक्तियाँ राज्य सभा पर प्रभाव होती हैं। इसलिए यह संघीय विशेषता नहीं है।
- 74 D**
Ex.
- 75 D**
Ex. ये सभी 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के प्रावधान थे, जो आंतरिक आपातकाल के दौरान पारित किए गए थे।
- 76 D**
Ex. भारत के संविधान का अनुच्छेद 253 इस प्रकार चलता है— "इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अर्थात् किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है।"
- 77 D**
Ex.
- 78 D**
Ex. संविधान राज्यों में विधायी परिषदों के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान करता है। तदनुसार, संसद एक विधान परिषद (जहाँ यह पहले से मौजूद है) को समाप्त कर सकती है या इसे बना सकती है (जहाँ इसका अस्तित्व नहीं है), यदि संबंधित राज्य का विधान सभा उस प्रभाव का प्रस्ताव पारित करती है। राज्यपाल एंग्लो-इंडियन समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकते हैं, अगर समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि संविधान ने अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय कर दी है, लेकिन संसद द्वारा एक परिषद की वास्तविक ताकत तय की जाती है।
- 79 D**
Ex.

